[illegible] अधिवक्ता अभियोजन, कोटा
ने साथ सम्मान किया हुआ है। पूर्वादेश
वालना में दि० 16.7.21 को पेश होवे।

16/7/21 बहुकारण उपस्थित। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पश्चात्वर्ती दिनांक 26.7.2021 को पेश हो।

26/7/21 प्रार्थिका अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थिया सं. 7 को नोटिस अप्राप्त। प्रार्थिका अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थिका व पश्चात्वर्ती अप्रार्थिया की कब्जे काश्त आराजी मुद्दा जिस पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी खाता सं. 1923, 1924, 1927, 1928, 1929, 1933, 1941, 1943, 2170/1584 आराजी काश्तकार को डोल से कायम है। अप्रार्थिगण आपसे रोज डोल को लेकर विवाद करते रहते हैं। डोल पर तीन प्रार्थियों के नाम का आवेदन पत्र पेश कर दिनांक 27.6.20 को नामान्तरण करवाने का प्रयास किया। अप्रार्थिगण अनावेदक नामान्तरण पत्रावली नहीं होने से रद्द है। तबादिर अनावेदक नामान्तरण पत्रावली कायम रखे जावे। प्रार्थना पत्र रद्द रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस किया जाया। अप्रार्थिगण सं. 1 लगा. 6 व 9 बराबर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:46:49 IST
Reason: SelfAttested

9.10/21
प्रकिया पत्र
कुसुम बनाम सत्यवीर वगैरा
अं.मो. 111, 20 ना. अ. वी.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,कोटकासिम

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
	सूचना उपस्थित नहीं। तलाकशुदा इसके खिलाफ एकपक्षीय अमल में लाये गये। अप्रार्थिया सं. 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। अप्रार्थिया सं. 7 के आवेदिका कानूनन पुत्र। जिन अप्रार्थियों के खेत की डोल अप्रार्थिया व तथा अप्रार्थिया को खेत की डोल ले जाती है। प्रत्यर्थिया जिन अप्रार्थियों की कब्जा काश्त आराजी में मजबूत व मशहूर करती रही है। दिनांक 27.6.20 की पैमाईश की रिपोर्ट की इसे गलतफहमी नहीं है। तलाकशुदा तरफ पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगड़ी नहीं की जा सकती। प्रार्थिका पक्ष खारिज फरमाया जावे।	
	विपक्ष आवेदकों की वहां पर मजल किया एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेज रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 27.6.20 का अवलोकन किया गया। दिनांक 27.6.20 को मौका पर्चा पर पत्रकारों व आवेदकों विपक्ष के हस्ताक्षर नहीं है। तलाकशुदा पुत्र। पैमाईश कर पत्थरगड़ी कराया जाना आदेश पारित होता है।	
	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेश किया जाता है कि आप स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्षकारान की मौजूदगी में पुका. पैमाईश कर पत्थरगड़ी करावे। तहसीलदार कोटकासिम को अवगत करावें कि पत्रावली पैमाईश [illegible] ले कर होकर कर तहसील कोटकासिम [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:46:49 IST
Reason: SelfAttested